1095
संख्या–1922 / XVI / 05 / 7(33) / 05

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक
रेशम
प्रेमनगर,देहरादून।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग:–2 देहरादूनः दिनांक 07 अक्टूबर,2005

विषयः–वित्तीय वर्ष 2005–06 में आयोजनागत पक्ष की योजना 0705–केन्द्र पोषित कैटेलिटिक योजना के कियान्वयन(सामान्य) हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–1922 / रेशम / तक0 अनु0 / बजट / 05–06 दिनांक 01,सितम्बर, 2005 के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005–06 के 0705–केन्द्र पोषित कैटेलिटक योजना (सामान्य) के कियान्वयन हेतु अवचनबद्ध मद में रूपये–24.40लाख (रूपये चौबीस लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन / आवंटन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के लिये ही किया जायेगा।

2– उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–527-A / XXVII(1) / 2005 / दिनांक 26,अप्रैल 2005 में दिये गये निर्देशो, शासन से समय–समय पर निर्गत आदेशों / निर्देशों तथा बजट मैनुअल के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3– किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रकिया(स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फ्रेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

5– निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक के आगणन / पुर्नरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ आगणनों पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय।

6– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7– लघु निर्माण कार्य व अन्य निर्माण कार्यो तथा अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग की स्वीकृत दरों के आधार पर ही आगणन गठित करते हुए कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

2 / –

8– व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

9– धनराशि का आहरण एक मुश्त न करके केवल आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

10– व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/ व्यय आवश्यकतानुसार ही किया जावेगा।

11– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसले कृषि कर्म–आयोजनागत–119–बागवानी और सब्जियों की फसलें–07–शहतूतकी खेती एवं रेशम विकास–0705–केन्द्र पोषित कैटेलिटिक योजना(समान्य)के नामे डाला जायेगा।

12– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–824/वित्त अनु0–2/2005/दिनांक 9/9/2005में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(उत्पल कुमार सिंह)
सचिव।

संख्या–~~1922~~ 1045/XVI/05/7(33)/05/तददिनांक:

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–महालेखाकार, उत्तरॉचल,ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा,देहरादून।
2–वित्त अनुभाग–2,उत्तरॉचल शासन।
3–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/गोपेश्वर(चमोली)/नैनीताल।
4–बजट,राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय,उत्तरांचल।
5–गार्ड फाईल।
6–राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर,देहरादून।

आज्ञा से

(किशन नाथ)
अपर सचिव।